

अधिसूचना संख्यांक 02/2022-सीमाशुल्क से 15/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक जापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	02/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि बेसिक सीमाशुल्क कर (बीसीडी) का प्रभावी दर विहित किया जा सके ।
2.	03/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क तारीख 2 फरवरी, 2018 का और संशोधित करने का प्रयास करता है जिससे कतिपय माल को समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) से छूट दी जा सके और कुछ कपड़ा वस्तुओं पर एसडब्ल्यूएस छूट वापस ली जा सके ।
3.	04/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक या ट्रांसफार्मर आयल फीड स्टॉक के रूप में साधारणतया ज्ञात कच्ची सामग्री पर अदग्रहणीय सीमाशुल्क के ऐसे भाग के समतुल्य ट्रांसफार्मर आयल के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क विहित करते हुए अधिसूचना संख्या 190/1978-सीमाशुल्क और 191/1978-सीमाशुल्क दोनों तारीख 22 सितंबर, 1978 का विखंडन करने के लिए है । ये अधिसूचनाएं अनावश्यक हो गई हैं ।
4.	05/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 10/95-सीमाशुल्क, 26/99-सीमाशुल्क, 27/2004-सीमाशुल्क, 14/2006-सीमाशुल्क, 48/2006-सीमाशुल्क, 90/2007-सीमाशुल्क, 8/2011-सीमाशुल्क, 24/2011-सीमाशुल्क, 49/2013-सीमाशुल्क, 23/2014-सीमाशुल्क, 37/2015-सीमाशुल्क, 11/2016-सीमाशुल्क, 20/2020-सीमाशुल्क, 40/2020-सीमाशुल्क का विखंडन करने के लिए है जो अनावश्यक हो गई हैं ।
5.	06/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए जिन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली सूची और कतिपय अनावश्यक प्रविष्टियों से प्रचालित किया जा रहा

		है । अधिसूचना संख्या 52/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 और 37/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 का और संशोधन करने के लिए है ।
6.	07/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	30.04.2022 तक कतिपय कपड़ा वस्तुओं पर प्रभावी दर विहित करने के लिए अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क तारीख 27.10.2017 का और संशोधन करने के लिए है ।
7.	08/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	उक्त अधिसूचनाओं के अधीन आयातित माल पर एआईडीसी/स्वास्थ्य उपकर/आरआईसी से छूट देने के लिए अधिसूचना संख्या 104/2010-सीमाशुल्क, 38/96-सीमाशुल्क, 40/2017-सीमाशुल्क, 60/2011-सीमाशुल्क, 148/94-सीमाशुल्क का संशोधन करने के लिए है ।
8.	09/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(4क) के अनुसार अंतिम तारीख विहित करने के लिए सीमाशुल्क-अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क, 147/94-सीमाशुल्क, 39/96-सीमाशुल्क, 50/96-सीमाशुल्क, 30/2004-सीमाशुल्क, 81/2005-सीमाशुल्क, 5/2017-सीमाशुल्क, 16/ 2017-सीमाशुल्क, 32/2017 का संशोधन करने के लिए है ।
9.	10/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	अनावश्यक प्रविष्टियों का लोप करने और कच्चे खाल और भैंस की खाल पर निर्यात शुल्क को कम करने के लिए अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमाशुल्क तारीख 01.03.2011 का संशोधन करने के लिए है ।
10.	11/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	पहनने योग्य उपकरणों और उसके पूर्जे, सह-पूर्जे और सह-समुच्चय के लिए एक वर्गीकृत बीसीडी संरचना का क्रियान्वयन करने के लिए है ।
11.	12/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	सुनने योग्य उपकरणों और उसके पूर्जे, सह-पूर्जे और सह-समुच्चय के लिए एक वर्गीकृत बीसीडी संरचना का क्रियान्वयन करने के लिए है ।
12.	13/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	स्मार्ट मीटर और उसके पूर्जे, सह-पूर्जे और सह-समुच्चय के लिए एक वर्गीकृत बीसीडी संरचना का

		क्रियान्वयन करने के लिए है ।
13.	14/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	अनावश्यक और अप्रचलित प्रविष्टियों का लोप करने के लिए अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमाशुल्क तारीख 28.02.1999 का संशोधन करने के लिए है ।
14.	15/2022-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं का संशोधन करने के लिए है ।

अधिसूचना संख्यांक 07/2022- सीमाशुल्क (एन.टी), तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक
ज्ञापन:-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	07/2022-सीमाशुल्क (एन.टी), तारीख 1 फरवरी, 2022	सीमाशुल्क (शुल्क के रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे इसका सरलीकरण और प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सके ।

अधिसूचना संख्यांक 05/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) से 07/2022-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	05/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 18.10.2018 के द्वारा चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए "सीधे लंबाई के बार और मिश्र धातु-इस्पात की छड़" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का विखंडन करने के लिए है ।
2.	06/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25.09.2019 द्वारा ब्राजील, चीन पीआर और जर्मनी से उत्पन्न या निर्यात किए गए "गैर-कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का विखंडन करने के लिए है ।
3.	07/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 23.06.2020 द्वारा चीन पीआर, वियतनाम और कोरिया पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए एल्यूमिनियम या जिंक के एल्लोय के साथ प्लेटिड या लेपित किए गए स्टील के फाल्ट रोलड उत्पाद के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का विखंडन करने के लिए है ।

अधिसूचना संख्यांक 01/2022-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	01/2022-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 1 फरवरी, 2022	अधिसूचना संख्या 1/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी) तारीख 07.09.2017 द्वारा चीन पीआर में उत्पन्न या निर्यात किए गए "कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का विखंडन करने के लिए है ।

अधिसूचना संख्यांक 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक
ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022	देश में सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए, अमिश्रित पेट्रोल और डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए हैं ।

अधिसूचना संख्यांक 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(एन.टी), तारीख 1 फरवरी, 2022 का स्पष्टीकारक
ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) तारीख 1 फरवरी, 2022	वर्तमान विधिक स्थिति के साथ संरेखित करने के लिए, पश्च जीएसटी के रोल-आउट के क्रम में अधिसूचना संख्या 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) तारीख 24.12.2008 का अधिक्रांत करने के लिए है ।